राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 5(63) ग्रावि / अनु–3 / वि.स. / 2007–08 जयपुर, दिनांक : – 4 JUN 2008

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
बारा।

विषय :– 12वीं विधानसभा के सदन (बजट) सत्र के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री हेमराज मीणा, माननीय विधायक के उत्तर के कम में भिजवाये गये जांच रिपोर्ट की पालना रिपोर्ट के संबंध मे।

प्रसंग :– आपका पत्र कमांक जि.परि. / एसयूआरवाई / 07–08 / ध्यानाकर्षण / 3003 दिनांक 03.03.08 एवं 3005 दिनांक 04.03.08 व एफ ( ) लेखा / 08 दि. 08.04.08 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में आप द्वारा भिजवाये गये उत्तर एवं संलग्न के कम में लेख है कि कृपया निम्न सूचनाएं एवं अपेक्षित कार्यवाही का विवरण भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

1. स्वीकृत किये गये एनीकटों की वर्तमान भौतिक स्थिति का विवरण जिसमें स्पष्ट करे कि एनीकट में पानी का भराव एवं उक्त एनीकट से होने वाले सिंचित क्षेत्र का विवरण व कुआ के रिचार्ज की स्थिति।
2. एनीकट निर्माण हेतु पंचायत समिति किशनगढ व शाहबाद को कितना बजट आवंटित किया गया था।
3. ग्राम पंचायत में निर्वाचित सरपंचों का दायित्व ग्राम पंचायत में सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो का निष्पादन का होता है फिर पंचायत समिति के कुछ चुनिन्दा ग्राम सेवकों को ही नेर्माण का जिम्मा सौंप कर राशि अग्रिम दिये जाने का पूर्ण विवरण उपलब्ध करावें।
4. सम्भागीय आयुक्त द्वारा करवायी गई जांच के संबंध में क्या कार्यवाही होनी है। अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है एवं क्या–क्या कार्यवाही होनी शेष है। पूर्ण विवरण भिजवावें।
5. कृपया यह भी स्पष्ट करे कि क्या पंचायती राज अधिनियम व ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानानुसार पंचायत समिति द्वारा कार्य स्वयं के स्तर पर कराया जा सकता है व ग्राम सेवक के माध्यम कार्य करवा सकते हैं ? क्या ग्राम सेवक सीधा भुगतान करने के लिये अधिकृत है, इस परिपेक्ष में भी जांच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही कर पूर्ण रिपोर्ट एवं स्पष्ट विवरण 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि विधानसभा को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय,

(राजेश कुमार भारद्वाज)
परि० निदे० एवं उप सचिव(ग्रारो)

प्रतिलिपि प्रभारी, एनआईसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परि० निदे० एवं उप सचिव(ग्रारो)

TD (PKM)